न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2013 विदिशा

R 312- PBR/13

नारायण सिंह पुत्र नंदलाल जादौन, निवासी- ग्राम बनारसी, तहसील-लटेरी, विदिशा ..... आवेदक

बनाम

श्री कुंवर सिंह कुशवाह, अभि द्वारा आज दि. 24-1-13 को प्रस्तुत

24-1-13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

हजारीलाल पुत्र मोतीलाल मीणा, निवासी- ग्राम मीना-उमरिया,तहसील-लटेरी, विदिशा ... अनावेदक

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश तहसीलदार लटेरी विदिशा का प्र.क्र. 96/अ-6/2012-13 आदेश दिनांक 24.12.2012 को पारित जिसकी आगामी पेशी 08.01.2013 नियत है।

श्रीमान् जी,

निगरानी के आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं :-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक ने जो आवेदनपत्र इन्द्राज दुरूस्ती हेतु दिया वह गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
4. यह कि, इन्द्राज दुरूस्ती आवेदन उस स्थिति में दिया जाता है जब किसी भूमि स्वामी का वर्तमान सरकारी रिकार्ड में नाम छूट गया हो उसे दुरूस्त किया जाता है, यहां आवेदक का वर्तमान रिकार्ड में दर्ज है ऐसी स्थिति में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार कर प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत करने में गंभीर कानूनी भूल की इसलिये तहसीलदार का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
5. यह कि, विवादित आराजी खसरा क्रमांक 68 रकवा 0.848 हेक्टर

कुंवरसिंह कुशवाह (एडवोकेट) 24/1/2013

निग. 312-पीबीआर/13

14.8.15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्को पर विचार किया । विचारोपरान्त आवेदक के निवेदन पर यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हों ।

सदस्य